जोसेफ स्टीफ़न और अन्य
बनाम
संथानासामी और अन्य
(अपराधिक अपील नं0- 90-93/2022)

दिनांक जनवरी 25, 2022

[एम.आर. साह एवं संजीव खन्ना, न्यायाधीशगण **]**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2022 का 90-93
मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरई पीठ द्वारा क्रिमिनल आ.सी. (एम.डी.) संख्या- 323 से 326/2013 में दिनांक 14/05/2020 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध

अपीलकर्ताओं के ओर से एस. नागमुथु, सिनियर वकील एम.पी. पार्थीभान, ए.एस. बेरावान, आर. सुधाकरण, श्रीमति शालनी मिश्रा, टी. हरिहरा सुधन, विकास जी.आर.

प्रतिवादियों के ओर से डॉ जोसेफ ऐरिसटोटल एस, सुश्री प्रिती सिंह, सुश्री नुपूर शर्मा, संजीव कुमार मेहरा

न्यायालय का निर्णय एम.आर. शाह, न्यायाधीश द्वारा दिया गया ।

1. यह वर्तमान अपील मूल अभियुक्त सं0– 06 से 08 के द्वारा 2013 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 323 से 326 में उच्च न्यायालय मद्रास, मदुरै पीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.05.2020 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करके, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और दोषी ठहराया है

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

सभी मूल अभियुक्तो को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 147, 148 , 324 , 326 , 307 , 506(ii) सह पठित धारा 149 के अंतर्गत आरोपित एवं विचारित किया गया था। यह कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, तिरुचिरापल्ली के निर्णय दिनांक 28.09.2012 के द्वारा धारा– 307 एवं 506 (ii) को छोड़कर उपरोक्त धारायो के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और इस तरह धारा 307 एव 506 (ii) भारतीय दण्ड सहिता के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया ।

2.1 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, तिरुचिरापल्ली के द्वारा पारित दोषसिद्धी के निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं पिडित पाते हुए अभियुक्त ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय तिरुचिरापल्ली (इसके बाद 'प्रथम अपीलीय' न्यायालय के रूप में संदर्भित) में आपराधिक अपील संख्या 92/2012 दाखिल की। पीडित ने अभियुक्तो के भारतीय दण्ड सहिता की धारा 307 एव 506 (ii) के अंतर्गत दोषमुक्ति के आदेश को चुनौती देते हुए 2012 की आपराधिक अपील संख्या 108 से 110 दायर की।

2.2 प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, निर्णय दिनांक 18.01.2013 के द्वारा अभियुक्त द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया एवं अभियुक्त को दोषमुक्त किया। पिडितो के द्वारा अभियुक्तो को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 307 एवं 506 (ii) के अंतर्गत दोषमुक्ति के विरुद्ध दायर अपील को खारीज कर दिया गया।

2.3 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तो द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील सं0– 92/2012 को अनुमति दिये जाने के विरुद्ध पिडित ने असंतुष्ट पाते हुए धारा– 397 सह पठित धारा– 401 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय मे आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन सं0– 2013 के 323 से 326 दाखिल की । पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश के द्वारा प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय एवं आदेश को खारिज कर दिया जिसके द्वारा अभियुक्तो को दोषमुक्त किया गया था और इस प्रकार भारतीय दण्ड सहिता की धारा– 307 एवं 506 (ii) को छोडकर अन्य धारायो मे दोषसिद्ध किया और इस तरह विचारण न्यायालय के दोषसिद्ध के निर्णय एवं आदेश को पुनः स्थापित किया । हलांकि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा को परिवर्तित किया गया।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा धारा– 401 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित समान निर्णय एवं आदेश जिसके द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को परिवर्तित करते हुए दोषसिद्ध किया गया, जबकी पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मुल अभियुक्त सं0– 06 से 08 ने अपील दाखिल की।

3. अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु ने प्रबलतापुर्वक प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा – 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त करने और दोषी ठहराने के आदेश को परिवर्तित कर भूल की है।

3.1 अभियुक्तो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401(3) पर बहुत अधिक भरोसा किया है। दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 (3) पर निर्भर करते हुए , यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि धारा 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के पास यह क्षेत्राधिकार बिल्कुल भी नही है कि वे दोषमुक्ति के परिणाम को दोषसिद्ध मे परिवर्तित कर सके। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के पास केवल एकमात्र रास्ता यह होगा कि वह अपना निष्कर्ष दे और उसके बाद मामले को विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को भेज दे। इस न्यायालय के निम्न निर्णयो *के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1962 एससी 1788, शीतल प्रसाद बनाम श्री कांत, (2010) 2 एससीसी 190; गणेश बनाम शरणप्पा, (2014) 1 एससीसी 87;* और *राम बृक्ष सिंह बनाम अंबिका यादव , (2004) 7 एससीसी 665* पर भरोसा जताया गया।

3.2 अभियुक्तो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस नागामुथु ने आगे प्रस्तुत किया कि दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 372 में 2009 के अधिनियम 5 द्वारा संशोधन कर धारा– 372 मे परंतुक जोडा गया जिसके द्वारा पिडित को यह अधिकार है की वे न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध या कम अपराध के लिए

दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा लगाने के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील कर सके एवं परतुंक के अनुसार, ऐसी अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जहां एक अपील आमतौर पर ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध होती है। यह प्रस्तुत किया गया कि जब पीड़ित को दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 372 के अंतर्गत दोषमुक्ति केआदेश के विरुद्ध अपिल करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, तब दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 की उपधारा 4 पर भरोसा रखा गया है ।

3.3 अभियुक्तो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस नागामुथु ने इस न्यायालय द्वारा *मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य , (2019) 2 एससीसी 752* के मामले में पारित निर्णय पर भी भरोसा जताया जिसके द्वारा पिडिता के दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपिल दायर करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, ऐसे मामले में भी जहां पीड़ित दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील करता है, उसके पास अपील का पूर्ण अधिकार है और इसलिए उसे "शिकायतकर्ता" की तरह धारा–378(4) के अंतर्गत अनुमति माँगने की भी अवश्यकता नही है।

3.4 अभियुक्तो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस नागामुथु ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 की उपधारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण के लिए आवेदन को एक याचिका के रूप में मान सकता है और इस प्रकार अपील करने और तदनुसार निपटाने के लिए, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित करना होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है और दोषमुक्त करने के निर्णय को परिवर्तित कर दोषसिद्ध किया है, जो की अनुमन्य नही है एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा– 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे से परे है।

3.5 अभियुक्तो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु गुण–दोष के आधार पर भी दलीलें प्रस्तुत की कोशिश की है और कहा है कि पहले अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त करते समय ठोस कारण दिए और अभियुक्तों के पक्ष में निष्कर्ष दिये जिनमें पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, निम्नलिखित कारणो के अनुसार, हम मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने का प्रस्ताव करते हैं, परंतु हम मामले के गुण–दोष के आधार पर एवं इस बात पर की क्या उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि मे गुण–दोष के आधार पर परिवर्तित करना न्यायसंगत था, पर विचार करने का प्रस्ताव नही करते है।

4. प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री (डॉ.) जोसेफ अरस्तू ने, निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च

न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता था और/या दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करें। हालाँकि, उन्होंने कहाँ कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता था और दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार विचार कर सकता था।

4.1 आगे यह कहा गया कि अन्यथा भी वर्तमान मामले में पीड़ितों को दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 372 के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि अन्यथा भी पीड़ित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर सकते थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि गलती से और/या अनजाने में पीड़ितों ने पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया, दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 372 के तहत प्रदत्त अपील करने का उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि या तो पीड़ितों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण आवेदनों को दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के अंतर्गत अपील की याचिकाओं के रूप में माना जाय या मामला उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण आवेदन को अपील मे बदलने हेतू एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 372 के अंतर्गत अपील के रुप मे मानने हेतू वापस भेजा जा सकता है।

5. पीड़ितों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. प्रत्युत्तर में, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 उप–धारा (5) के अनुसार पुनरीक्षण आवेदनों को अपील के रूप में मानने के लिए प्रतिवादी–राज्य की ओर से की गई प्रार्थना का विरोध किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण आवेदनों को अपील की याचिकाओं के रूप में मानने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित करना होगा और उसके बाद उच्च न्यायालय को अभियुक्तों को एक अवसर देना होगा जैसे कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय के आदेश के विरुद्ध अपील निश्चित कर रहा हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार का दायरा अलग–अलग है। यह प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करते समय, पुनरीक्षण न्यायालय के पास सीमित दायरा होगा, हालाँकि, अपील पर निर्णय लेते समय, अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होता है।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। सुनने के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न विचारण हेतू न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

i) क्या उच्च न्यायालय के पास 401 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकार के तहत रिहाई के आदेश को सजा मे परिवर्तित करने का अधिकार है।

ii) ऐसे मामले में जिसमे पीड़ित को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जैसा कि धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया गया है और पीड़ित ने इस तरह के उपाय का लाभ नहीं उठाया है और अपील को प्राथमिकता नहीं दी है, क्या पुनरीक्षण आवेदन की आवश्यकता है किसी अपील को प्राथमिकता देने के बजाय किसी पक्ष/पीड़ित के कहने पर विचार किया जाना चाहिए? और

iii) दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानते हुए और उसी के अनुसार निपटते समय, उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है?

8. अब जहां तक पहला मुद्दा है, क्या दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के फैसले को दोषसिद्धि में बदल सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है, इस प्रकार, उक्त मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं है। उपरोक्त पर, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, विचार करने की आवश्यकता है।

ए) *के. चिन्नास्वामी रेड्डी (सुप्रा)* के मामले में, पुरानी संहिता, अर्थात् धारा 439(4) दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत समान प्रावधान पर विचार करते समय , यह देखा गया और माना गया कि "हालांकि उप–धारा (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 ने उच्च न्यायालय को अपने विवेक से धारा 423 द्वारा अपील न्यायालय को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, फिर भी उप–धारा (4) विशेष रूप से दोषमुक्ति के निष्कर्ष को सजा मे परिवर्तित करने की शक्ति को बाहर करती है।" यह देखा गया है कि "उस स्तर पर पुनरीक्षण अदालत आरोपी को दोषी ठहराने पुन: सुनवाई का आदेश देती है"। पुनः विचार आवेदन पर उस न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए, इस पर पैराग्राफ 11 में विचार किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "11 अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान जैसे मामले में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी मामले के इस पहलू पर विचार किया. ऐसे मामले में दो आकस्मिकताएँ उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में यदि उच्च न्यायालय, ऊपर बताए गए सिद्धांतों के आधार पर, पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित समझता है, तो उसके पास एकमात्र रास्ता दोषमुक्ति को रद्द करना और मामले को विचारण न्यायालय के पास पुनः विचारण हेतू भेज सकता है। परंतू यहाँ अन्य प्रकार का मामला भी हो सकता है, जहां विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है जबकि अपीलीय न्यायालय मे उसे दोषमुक्त कर दिया है। ऐसे मामले में यदि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अपीलय न्यायालय के आदेश पर रोक लगा देना चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय को उस बयान को स्वीकार करने के बाद अपील पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए जिसे उसने खारिज कर दिया था या

उस मामले का पुनः विचारण निचली अदालत मे होना चाहिए। जहां तक इस मामले का संबंध है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को दोनो मे से किसी एक पर निर्णय लेना का क्षेत्राधिकार है। वे चाहे तो मामले की पुनः सुनवाई हेतू निचली अदालत को आदेश दे सकते है या फिर अपील पर पुनः सुनवाई कर सकते है। यह प्रत्येक वाद के तथ्यो पर निर्भर करेगा की उच्च न्यायालय सुनवाई पर आदेश पारित करे या फिर निचली आदालत को पुनः विचारण हेतू आदेश दे। जहां तक इस मामले का संबंध है यह पर पर्याप्त साक्ष्य है की अपीलीय अदालत मे साक्ष्य को दरकिनार कर आदेश पारित किया जब की निचली अदालत द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। ऐसे मे हमारे विचार मे उपयुक्त मार्ग यह है की इसे पुनः विचारण हेतू अपीलीय अदालत को भेज देना चाहिए की वे संबंधित साक्ष्य पर विचारण उपरांत या तो दोष सिद्ध करे या रिहाई करे। साथ ही हम यह भी जोडना चाहेंगे कि अपीलीय अदालत अपिल पर पुनः विचार करे तो उच्च न्यायालय द्वारा जो साक्ष्य प्रसंग मे लाया गया है उसे प्रभावित हुए बिना उस पर अपने विवेक का प्रयोग करे जिसको की पहले उन्होने प्रासंगिक नही समझा था।

बी) *राम बृक्ष सिंह (सुप्रा)* के मामले में, *के. चिन्नास्वामी रेड्डी (सुप्रा)* के मामले में निर्णय और *डी. स्टीफेंस बनाम नोसिबोल्ला , एआईआर 1951 एससी 196* के मामले में पहले के फैसले पर विचार करने के बाद, यह देखा गया है और यह माना गया कि उच्च न्यायालय दोषमुक्त ने के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन में और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा सकता है और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज सकता है जहां विचारण न्यायालय द्वारा भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की जाती है।

सी) फिर से, *शीतला प्रसाद (सुप्रा)* के मामले में, यह दोहराया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401(3) दोषमुक्त किए जाने के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने पर रोक लगाती है और ऐसे मामलों में अपील पर दोबारा सुनवाई या सुनवाई का आदेश दिया जा सकता है। .

घ) *गणेश (सुप्रा)* के मामले में, इसे पैराग्राफ 10 से 12 में निम्नानुसार देखा गया है:

"10. धारा 386(ए) इस प्रकार अपीलीय अदालत को दोषमुक्ति के आदेश को पलटने, आरोपी को दोषी मानने और दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा देने का अधिकार देती है। हालाँकि, संहिता की धारा 401 की उप–धारा (3) इस बात पर विचार करती है कि पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने के लिए अधिकृत नहीं करती है। प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो संहिता की धारा 386 के तहत अपील की अदालत को प्रदान की गई हैं, लेकिन, धारा 401 की उप–धारा (3) के मद्देनजर संहिता, ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकती है।

11. हालाँकि, ऐसे मामले में जहां साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने या साक्ष्यों पर विचार न करने या साक्ष्यों की विकृत मूल्यांकन कारण दोषमुक्ति का निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को सूचक के कहने पर दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करने से कोई नहीं रोकता है। पुनरीक्षण में और ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर नए सिरे से निपटान का निर्देश देना। इस तरह के निर्देश की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट रिविजनल कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और मामले की योग्यता पर रिविजनल कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य होगा। प्रचुर सावधानी के साथ, हम यहां देख सकते हैं कि पुनरीक्षण में दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप केवल उन मामलों में किया जाता है जहां कानून या प्रक्रिया की स्पष्ट त्रुटि होती है और उन असाधारण मामलों में जहां यह पाया जाता है कि दोषमुक्त करने का आदेश घोर अवैधता से प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया। उच्च न्यायालय उन साक्ष्यों को खारिज करने के कारण दोषमुक्त होने के उन मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है जिन पर अन्यथा विचार किया जाना चाहिए था या जहां मुद्दे को तय करने वाले भौतिक साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसे असाधारण मामले में, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के आदेश को रद्द कर सकता है, लेकिन वह दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसे असाधारण मामलों में उच्च न्यायालय के पास एकमात्र रास्ता पुनर्विचार का आदेश देना है।

12. जो दृष्टिकोण हमने लिया है, उसे *बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य* [(2002) 6 SCC 650: 2002 SCC (Cri) 1448] में इस न्यायालय के एक निर्णय से समर्थन मिलता है , जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है : (एससीसी पृ. 654–55, पैरा 12)

> "12. ... धारा 401 की उप–धारा (3) में यह प्रावधान है कि धारा 401 में कुछ भी उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने के लिए अधिकृत करने वाला नहीं माना जाएगा। उपरोक्त उपधारा, जो पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों पर एक सीमा लगाती है, उसे दोषमुक्त करने के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने से रोकती है, स्वयं संहिता की धारा 401 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण शक्ति की प्रकृति और सीमा का संकेत है । यदि उच्च न्यायालय सीधे तौर पर दोषमुक्त किए जाने के फैसले को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पुन: सुनवाई का आदेश देकर ऐसा नहीं कर सकता है। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उच्च न्यायालय आमतौर पर उन असाधारण मामलों को छोड़कर दोषमुक्त करने के आदेश के पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां सार्वजनिक न्याय के हित में किसी स्पष्ट अवैधता के सुधार या रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करने के आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कानून के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाया है या सबूतों की सराहना करने में गलती की है। उन परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची बनाना न तो संभव है और न ही उचित है जिसमें

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित हो सकता है, लेकिन इस न्यायालय के निर्णयों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मापदंडों को एक निजी पक्ष द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील में प्रक्रिया निर्धारित किया है।"

9. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (3) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह माना जाना चाहिए कि धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (3) उच्च न्यायालय को दोषमुक्त करने के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने से रोकता/रोकती है । यद्यपि और जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय के पास यह जांचने की पुनरीक्षण शक्ति है कि क्या कानून या प्रक्रिया आदि में कोई स्पष्ट त्रुटि है, तथापि, न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष देने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करने और आदेश को रद्द करने के बाद दोषमुक्त होने पर, उच्च न्यायालय को मामले को ट्रायल कोर्ट और/या प्रथम अपीलीय न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को भेजना होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने *के. चिन्नास्वामी रेड्डी (सुप्रा)* के मामले में देखा था, यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है, तो उच्च न्यायालय मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज सकता है और यहां तक कि पुन: सुनवाई का निर्देश भी दे सकता है। हालाँकि, यदि दोषमुक्त करने का आदेश प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित किया जाता है, तो उस स्थिति में, उच्च न्यायालय के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं, (i) अपील की दोबारा सुनवाई के लिए मामले को प्रथम अपीलीय अदालत में भेज दिया जाए; या (ii) किसी उपयुक्त मामले में मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए और ऐसी स्थिति में *के. चिन्नास्वामी रेड्डी (सुप्रा)* के फैसले के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है, जिसका उल्लेख यहां ऊपर किया गया है। इसलिए, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्त करने के आदेश को रद्द करने और दोषमुक्त करने के फैसले को पलटने और/या दोषसिद्धि में बदलने और परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराने में गलती की है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आदेश, इसलिए टिकाऊ नहीं है, धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के दायरे और दायरे से परे , विशेष रूप से धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (3) से परे है। मुद्दा संख्या 1 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

10. अब जहां तक मुद्दा संख्या 2 की बात है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की जाती है, हालांकि अपील संहिता के तहत होती है, क्या उस पक्ष के अनुरोध पर पुनरीक्षण आवेदन पर अभी भी विचार किया जाना है जो अपील कर सकता था, इसका उत्तर इसमें निहित है दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की ही उपधारा (4) । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उपधारा (4) इस प्रकार है:

"(4) जहां इस संहिता के तहत अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, उस पक्ष के अनुरोध पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाएगा जो अपील कर सकता था।"

10.1 इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अब 2009 के बाद धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन और धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान जोड़ने के बाद, पीड़ित के पास दोषमुक्त होने के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे मामले में दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित के कहने पर कोई पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा जहां कोई अपील नहीं की जाती है और पीड़ित को अपील दायर करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहां तक कि यह स्वयं पीड़ित के हित में भी होगा क्योंकि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, दायरा बहुत सीमित होगा, हालांकि, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। इसी प्रकार, ऐसे मामले में जहां शिकायत पर शुरू किए गए किसी मामले में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है, शिकायतकर्ता (पीड़ित के अलावा) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप–धारा (4) के तहत दोषमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति दिए जाने के अधीन अपील कर सकता है।

10.2 जैसा कि इस न्यायालय ने *मल्लिकार्जुन कोडगली (सुप्रा)* के मामले में देखा, जहां तक पीड़ित का सवाल है, पीड़ित को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि पीड़ित के पास धारा 372 के परंतुक के तहत अपील का वैधानिक अधिकार है और धारा 372 का परंतुक शिकायतकर्ता के मामले में धारा 378 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उप–धारा (4) की तरह अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है और ऐसे मामले में जहां शिकायत पर दर्ज मामले में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है। पीड़ित को दोषमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का दिया गया अधिकार पूर्ण अधिकार है। इसलिए, जहां तक मुद्दा संख्या 2 का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां पीड़ित और/या शिकायतकर्ता ने, जैसा भी मामला हो, दोषमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील के उपाय को प्राथमिकता नहीं दी है और/या उसका लाभ नहीं उठाया है, जैसा कि प्रावधानित है, धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता या धारा 378(4) के तहत, जैसा भी मामला हो, पीड़ित या शिकायतकर्ता के उदाहरण पर दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और पीड़ित या शिकायतकर्ता को, जैसा भी मामला हो, धारा 372 या धारा 378(4) के तहत प्रदान की गई अपील को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य किया जाएगा । अत: मुद्दा संख्या 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

11. अब जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का सवाल है, अर्थात् उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता है और इससे निपट सकता है। तदनुसार, सबसे पहले उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने के लिए न्यायिक आदेश पारित करना होगा। उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करना पड़ता है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उपधारा (5) में प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसा पुनरीक्षण आवेदन इस गलत धारणा के तहत किया गया था कि उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती और यह आवश्यक है न्याय के हित में ऐसा करना। पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानते हुए और तदनुसार निपटाते समय, उच्च न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के तहत प्रदान की गई संतुष्टि को रिकॉर्ड करना होगा, इसलिए, जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निहित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में किया गया है, उच्च न्यायालय के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने और उप–धारा (5) के धारा 401 के अनुसार तदनुसार निपटाने का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत, उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा आवेदन इस गलत धारणा के तहत किया गया था कि उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए उच्च पुनरीक्षण के आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने और उसके अनुसार निपटाने के लिए न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना होगा, यह एक औपचारिक आदेश भी हो सकता है।

12. अब अगला प्रश्न है कि वर्तमान जैसे मामले में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह न्यायालय या तो अभियुक्तों को दोषमुक्त करने और दोषी ठहराने को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश को रद्द कर सकता है ताकि उच्च न्यायालय दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करने के बाद अपील पर फिर से सुनवाई करने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेज सके या पुनरीक्षण आवेदन को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील की याचिका के रूप में मानने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाए, जो अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उप–धारा (5) के तहत स्वीकार्य है जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है , पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उपधारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्यथा पीड़ित होने के बावजूद उनके पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अनुसार अपील का वैधानिक अधिकार है, हम पुनरीक्षण आवेदनों को धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका के रूप में मानने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना उचित मानते हैं तथा उच्च न्यायालय अपील को कानून के अनुसार और अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय ले। यह सभी के हित में होगा, अर्थात् पीड़ितों के

साथ–साथ अभियुक्तों के भी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण न्यायालय के बजाय अपीलीय न्यायालय के रूप में व्यापक दायरा और अधिकार क्षेत्र होगा।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त करने और दोषी ठहराए जाने को पलटने वाले आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है । मामले उच्च न्यायालय को भेजे जाते हैं। उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह पुनरीक्षण आवेदनों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील के रूप में माने और उसके बाद अपनी योग्यता के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय और निपटान करे।

14. वर्तमान अपीलें उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकृत

Avanika Gautam